उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–45/2021–22

प्रमोद मांझी

बनाम्

मो0 निर्मला देवी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 14/5/23

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रमोद मांझी, पे0–स्व0 कालाचन्द मांझी, सा0–सिंघाईडीह घाट, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–04/2018–19 के आदेश दिनांक–05.10.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–04/2018–19 के आदेश दिनांक–05.10.2021 के द्वारा उत्तरवादी मो0 निर्मला देवी को मौजा–सिंघाईचक घाट नं0–399 का प्रधान नियुक्त किया है, जिसके विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिंघाईडीह घाट नं0–399 के गत प्रधान कालाचन्द मांझी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–18.02.2018 को हो गयी है। अपने मृत्यु के पूर्व गत प्रधान कालाचन्द मांझी अपीलकर्त्ता को अपना सरबरकार बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन भी दाखिल किया गया था। लेकिन प्रक्रिया चलने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गयी है। उनका आगे कथन है कि गत प्रधान कालाचन्द मांझी के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र सरगुन मांझी(उत्तरवादी सं0–02) को पोष्यपुत्र दे दिये जाने के कारण कालाचन्द मांझी के पुत्र के रूप में नहीं रहे। द्वितीय पुत्र धुरखेली मांझी ने प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन प्रधान नियुक्ति के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गयी थी। तृतीय पुत्र बीरेन्द्र मांझी ने मौजा–सिंघाईडीह घाट के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया था। बल्कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई प्रमोद मांझी (अपीलकर्त्ता) का समर्थन किया था एवं अपीलकर्त्ता को प्रधान नियुक्त करने के लिए निम्न न्यायालय में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था। इस प्रकार अपीलकर्त्ता

को उनके भाई बीरेन्द्र मांझी एवं गत प्रधान का भी समर्थन प्राप्त था। उनका आगे कथन है कि गत प्रधान के द्वितीय पुत्र धुरखेली मांझी का पहली शादी निर्मला देवी, पिता–पूरन यादव से हुआ था। चूँकि निर्मला देवी को कोई संतान नहीं था। इसलिए उनके पति धुरखेली मांझी ने उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया एवं पहली पत्नि को तलाक दिये बिना दूसरी महिला निर्मला देवी, पिता–बटेश्वर मांझी, ग्राम–मायाबाँध को लाया तथा बिना शादी किये ही उनके साथ रहने लगे। चूँकि उत्तरवादी सं0–01 धुरखेली मांझी की विवाहित पत्नि नहीं है। लेकिन निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी सं0–01 निर्मला देवी को स्व0 धुरखेली मांझी की पत्नि एवं गत प्रधान कालाचन्द मांझी के पुत्र बधु के रूप में उत्तरवादी सं0–01 निर्मला देवी को प्रतिस्थापित किया है। उनका आगे कथन है कि चूँकि न तो उत्तरवादी सं0–01 निर्मला देवी और न ही उत्तरवादी सं0–02 सरगुन मांझी गत प्रधान के कानूनी रूप से उत्तराधिकारी नहीं रहे। क्योंकि सरगुन मांझी को गोद लिया गया है एवं निर्मला देवी धुरखेली मांझी की विवाहित पत्नि नहीं है। लेकिन निम्न न्यायालय ने गलत तरीके से चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर गलत तरीके से उत्तरवादी सं0–01 निर्मला देवी को मौजा–सिंघाईचक का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत आवेदन दाखिल किया है।

उत्तरवादी सं0–01 निर्मला देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिंघाईडीह घाट नं0–399 के गत प्रधान कालाचन्द मांझी अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः 1. सरगुन मांझी, 2. धुरखेली मांझी, 3. विरेन्द्र यादव एवं 4. प्रमोद मांझी को छोड़कर फौत कर गये। सरगुण मांझी को पूर्व प्रधान अपने जीवनकाल में ही सोरपचीसा में एक दूसरे परिवार को पोष्यपुत्र दे चुके है, जिसका उल्लेख अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन में किया गया है। उनका आगे कथन है कि गत प्रधान के तीन पुत्र 1. सरगुन मांझी, 2. धुरखेली मांझी एवं 3. प्रमोद मांझी ने उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया। एक पुत्र विरेन्द्र यादव ने उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है। प्रक्रिया चलने के दौरान धुरखेली मांझी की मृत्यु हो जाती है। उनके स्थान

पर उनके एक मात्र विवाहित पत्नि मो0 निर्मला देवी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। सभी आवेदकों के आवेदन की जाँच अंचल अधिकारी, पथरगामा से करायी गयी। अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आम रैयतों को सूचना देकर तारीख एवं समय निर्धारित कर पंचायत के पंचायत भवन में सभा आयोजित किया गया, जिसमें रैयतों ने सर्व सहमति से निर्मला देवी के पक्ष में समर्थन किया एवं रैयतों के सहमति के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मो0 निर्मला देवी को मौजा–सिंघाईडीह नं0–399 का प्रधान नियुक्त किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी मो0 निर्मला देवी, स्व0 धुरखेली मांझी की विवाहित पत्नि है एवं धुरखेली मांझी के साथ दामपत्य जीवन से उसे पुत्र और पुत्री है। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा सही तरीके से जाँच कर एवं रैयतों के सहमति के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सरगुण मांझी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिंघाईचक घाट के गत प्रधान कालाचन्द मांझी थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 2018 में हो गयी। वे अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः 1. सरगुण मांझी, 2. धुरखेली मांझी, 3. वीरेन्द्र यादव एवं 4. प्रमोद मांझी को छोड़कर फौत कर गये। धुरखेली मांझी अपने पीछे विधवा पत्नि मो0 निर्मला को छोड़कर फौत कर गये। मो0 निर्मला भी उक्त मौजा के प्रधानी पद के उम्मिदवार थी। तृतीय पुत्र वीरेन्द्र यादव के द्वारा आवेदन नहीं किया गया था। बल्कि उनके द्वारा प्रमोद मांझी का समर्थन किया गया था। उनका आगे कथन है कि गत प्रधान की मृत्यु के बाद वंशानुगत आधार पर ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्त किया जाता है। उत्तरवादी सरगुण मांझी के ज्येष्ठ पुत्र है एवं अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा उत्तरवादी सरगुण मांझी का समर्थन किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता प्रमोद मांझी के द्वारा उत्तरवादी सरगुण मांझी को प्रधानी पद के दावेदारी से बाहर निकालने के लिए गोद लेने का झूठा कागजात तैयार किया गया। जबकि उत्तरवादी सरगुण मांझी अपने पिता के मकान में रहते आ रहे है एवं उनके पिता का नाम हर जगह दर्ज है।

इसलिए अपीलकर्त्ता का यह कथन कि ज्येष्ठ पुत्र सरगुन मांझी को पोष्यपुत्र लिया गया है, मनगढ़त एवं पूर्व नियोजित तैयारी है। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी सरगुण मांझी ही उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधानी पद के लिए योग्य उम्मिदवार है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा नियम संगत तरीके से उत्तरवादी मो0 निर्मला देवी को मौजा –सिंघाईडीह घाट नं0–399 का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सिंघाईडीह घाट नं0–399 प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के गत प्रधान कालाचन्द मांझी थे। गत प्रधान कालाचन्द मांझी की मृत्यु के उपरांत उनके चार पुत्रों में तीन पुत्र क्रमशः सरगुण मांझी, धुरखेली मांझी एवं प्रमोद मांझी के द्वारा उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन दाखिल किया था। यह स्पष्ट है कि गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र सरगुण मांझी को पोष्यपुत्र लिया गया है। द्वितीय पुत्र धुरखेली मांझी के द्वारा उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन चूँकि वाद की प्रक्रिया के क्रम में ही धुरखेली मांझी की मृत्यु हो गयी एवं उनके स्थान पर उनके पत्नि मो0 निर्मला देवी को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया तथा निम्न न्यायालय के द्वारा तीनों उम्मिदवार के आम स्वीकार्यता के लिए मौजा के रैयतों से राय लिया गया एवं सबसे अधिक 69 रैयतों का राय मो0 निर्मला देवी को प्राप्त हुआ एवं रैयतों के राय के आधार पर मो0 निर्मला देवी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–04/2018–19 में दिनांक–05.10.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:32:50 +05:30
Location: 172.21.32.1

निष्पक्ष एवं शुद्ध लिखा।

उपायुक्त,
गोड्डा।
1/05/23

उपायुक्त,
गोड्डा।
1/05/23